फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री नन्द किशोर शर्मा निवासी आशीर्वाद भवन, गारियावास, रेलवे स्टेशन के पास मावली जंक्शन तहसील मावली जिला उदयपुर
— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या** 101/2025

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 01.12.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट से जरिये पत्र क्रमांकः सूचना का अधिकार/2025/491 दिनांक 19.11.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री नन्द किशोर शर्मा द्वारा दिनांक 28.09.2025 को ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 44026438913658 के संबंध में प्रमाणित चाही गई जिसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने हेत 02 रूपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से राशि 02/— रूपये अक्षरे दो रूपये कार्यालय में जमा करवाने बाबत् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सूचना का अधिकार/2022/437 दिनांक 17.10.2025 को लिखा गया। दिनांक 06.11.2025 को जरिये डाक से उक्त सूचना के संबंध में पोस्टल ऑर्डर 70F 012216 राशि 10/— रूपये प्राप्त हुआ तथा उक्त संबंध अपीलार्थी के आवेदन क्रमांक 44026438913658 के संबंध चाही गई सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सूचना का अधिकार/2025/464 दिनांक 18.11.2025 को प्रमाणित प्रतिलिपि जरिये डाक से भेज दी गयी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील का जवाब स्वीकार करते हुए अपील निरस्त कराने का श्रम करावे। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना उपखण्ड अधिकारी आमेट की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमांक सूचना का अधिकार/2025/464 दिनांक 18.11.2025 से अपीलार्थी को जरिये डाक भिजवा दी गयी है। अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को निश्चित समयावधि में जरिये डाक भिजवा दी जाने से उक्त अपील को खारिज किया	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेट को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)